[Shri Onkar Nath.]

गांधी जी के नेतृत्व में ३२ साल से करीब २॥ लाख आदमियों ने इस देश की आजादी के लिये हर तरह की कुरबानी की, जेल गये और हर प्रकार की मुसीबत सही और अब तक सहते चले आ रहे हैं। आज भी दिल्ली में वह लड़कियां मौजूद हैं, जो कि आज बड़ी हो गई हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हर तरह की कुरबानी की और उनके पांव टूट गये। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके हाथ कट गये, ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने हर प्रकार की मुबसीत को सहते हुए अपने प्राण देश की आजादी के लिए दे दिये और आज भी उनके बाल-बच्चे इस शहर में मौजुद हैं। क्या हम इसको पक्षपात नहीं कह सकते हैं। जिन गोरखे सिपाहियों ने पेशावर में अंग्रेजों के हुक्म को न मानकर अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया क्या वे कम बहादुर थे? बम्बई में जिन जहाज वालों ने सत्याग्रह किया था क्या वे बहादुर नहीं थे? क्या उनका यह मतलब है कि आई० एन० ए० वालों ने ही देश की आजादी में भाग लिया और दूसरे लोगों ने किसी प्रकार की कोई कुरबानी नहीं की। हम लोग आजादी की लड़ाई में पिछले कई सालों से और देश-वासियों के साथ कुरबानी करते आ रहे हैं।

SHRI C.G/K. REDDY: I: was also in your organisation.

SHRI ONKAR NATH :

श्री ओंकार नाथ : तो मैं यह कह रहा था कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग अब भी हैं जिनको आजादी की लड़ाई में हर तरह की मुसीबत उठानी पड़ी और वह पड़े हुए हैं। मैं ३० साल से इस आजादी की लड़ाई में काम करता आ रहा हूं और स्वयं हर किस्म की मुसीबतें उठाई। आप को इसी दिल्ली शहर में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए कष्ट सहन किया होगा। यह ठीक है कि आई० एन० ए० वालों ने भी कष्ट सहन किया मगर बावजूद इसके कि गांधी जी ने इन लोगों के लिए नारा लगाया था, बावजूद इसके कि कांग्रेस ने इन लोगों के लिये नारा लगाया था और उनकी हर तरह से सहायता की गई, फिर आपका यह कहना कि इस गवर्नमेंट के दिल में उनकी कदर नहीं है और वह उन लोगों को हर तरह से सपरैस कर रही हैं एक गलत बात मालूम होती है। मि० रेड्डी का यह कहना मालूम पड़ता है कि यह सरकार दूसरे राजनैतिक कैदियों की तो सहायता कर रही है मगर आई० एन० ए० वालों की सहायता नहीं कर रही है। इस सरकार ने तो काफी आई० एन० ए० वालों की सहायता की है और सिर्फ ५ फीसदी ऐसे होंगे जिनकी सहायता न की हो या जो किसी तरह से रह गये हों। मगर जो हमारे दूसरे राजनैतिक सिपाही हैं जिनकी तादाद लाखों में है उनको १० फीसदी भी लाभ नहीं पंहुचाया गया है। जालियाना बाग में गोली चली और १५०० आदमी मारे गये, क्या आप यह चाहते हैं कि उनके बाल-बच्चों की किसी प्रकार की सहायता न की जाय?

SHRI C. G. K. REDDY : Is it our contention that they should not be rewarded, that we should forget the other martyrs ?

SHRI ONKAR NATH :

श्री ओंकार नाथ : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट (Central Government) ने इन लोगों की मदद नहीं की यह गलत बात है। उसने अपनी ओर से जितना हो सकता है मदद की जैसा प्रधान मंत्री जी ने आपके सामने बयान किया। उनकी मदद करना यह एक स्टेट सबजैक्ट (State subject)

है और सब प्रान्तों को अखित्यार है कि वह उनको हर तरह से मदद पहुंचाये । इसके लिये हर प्रान्त में कमेटी बनी हुई है। आपको मालूम होना चाहिये कि पिछली सरकार ने भी इसके लिये एक कमेटी बनाई है और हर प्रान्तीय सरकार आई० एन० ए० वालों को हर तरह से मदद पहुंचा रही है । हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की यह पालिसी (policy) है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कष्ट उठाया है, चाहे वह किसी पार्टी के हों, सोशलिष्ट (Socialist) हों, कम्युनिस्ट (Communist) हों हर एक को सहायता दी जायेगा । मुखतलिफ प्रदेशों में इस तरह के लोगों को साहयता पहुंचाने के लिये कमेटियां बनी हुई हैं और इस तरह के लोगों की मदद पहुंचाई जाती रहती हैं। मैं इस बारे में आपके सामने मिसालें बतला सकता हूं कि किस तरह से आई० एन० ए० और दूसरे लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है। यू० पी० में १० एकड़.....

[For English translation, see Appendix III, Artnexure No 70]

{Time bill rings.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The Secretary will read out a message from the House of the People.

MESSAGE FROM THE HOUSE OF THE PEOPLE

THE CONSTITUTION (SECOND AMENDMENT) BILL, 1952

SECRETARY : I have to report to the Council the following message received from the House of the People signed by the Secretary to the House :

In accordance with the provisions of rule 115 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House of the People, I am directed to enclose herewith a copy of the Constitution (Second Amendment) Bill, 1952, as amended by the Selec Committee, which has been passed by the House at its sitting held on the 15th December 1952.

Sir, I lay the Bill on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 10 A.M. tomorrow.

The Council then adjourned till ten ofthe clock on Tuesday, the 16th December 1952.